कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी जिला– जशपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / 1550 / न्यायिक / 2017 जशपुर दिनांक 06 / 03 / 2017

प्रति,

सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जशपुर / कुनकुरी / बगीचा / पत्थलगाव

विषय :– लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा / डी.आई.आर.राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का प्रचार–प्रसार करने बाबत्।

संदर्भः– छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7–9 / 2008 / 1–7 रायपुर दिनांक 01.03.2017

---0---

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा / डी.आई.आर.राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 के नियम 2(ग) में नियम 5 के उपनियम (1) में, एवं नियम 15 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.02.2017 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2 / अतः की गई संशोधन के संबंध में पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जशपुर (छ.ग.)
जशपुर दिनांक 06 / 03 / 2017

क्रमांक / 1550 / न्यायिक / 2017

प्रतिलिपिः–

1 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जशपुर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

2 जिला सूचना अधिकारी, (एन.आई.सी.) जशपुर की ओर जिले की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जशपुर (छ.ग.)

10

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–9 / 2008 / 1–7 नया रायपुर, दिनाँक 01 / 03 / 2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः—लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा / डी.आई.आर.राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का प्रचार–प्रसार करने बाबत्।

शासन द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा / डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम ,2008 के नियम 2 (ग) में, नियम 5 के उपनियम (1) में, एवं नियम 15 में संशोधन किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.02.2017 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। संक्षेप में उक्त संशोधन निम्नानुसार है—

0807/1
4-3-17

कार्यालय कलेक्टर
जशपुर (क्र 1170)
2 MAR 2017
जन SC
कलेक्टर अधीक्षक

(1) अधिसूचना जारी होने की तिथि से "मीसाबंदी" अब "लोकतंत्र सेनानी" कहलायगें।

(2) मीसाबंदियों की सम्मान निधि की राशि में दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से निम्नानुसार बढ़ोतरी की गई है—

1. रू. 5,000 / — को बढ़ाकर रू. 8,000 / —
2. रू. 10,000 / — को बढ़ाकर रू. 15,000 / —
3. रू. 15,000 / — को बढ़ाकर रू. 25,000 / —

(3) सम्मान निधि हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि "31 मार्च, 2017" निर्धारित की गई है।

2 / कृपया उपरोक्त संशोधनों की जानकारी तत्काल स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित करवायें ताकि उसका पर्याप्त प्रचार–प्रसार हो सके एवं सम्मान निधि की पात्रता रखने वाले व्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च, 2017 के पूर्व उनके आवेदन पत्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

....2 /

02.03.2017 14:42

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 25/02/2017

क्रमांक एफ 7–9/2008/1–7 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

<u>संशोधन</u>

उक्त नियमों में, –

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) में, शब्द एवं चिन्ह "मीसा/डी.आई.आर के अधीन निरुद्ध किये गये व्यक्ति" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह " 'लोकतंत्र सेनानी' कहलायेंगे " प्रतिस्थापित किया जाये।
2. नियम 5 मे, उप–नियम (1) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रूपये 5000/–", "रूपये 10,000/–" एवं "रूपये 15,000/–" के स्थान पर, क्रमशः शब्द, अंक एवं चिन्ह "रूपये 8,000/–", "रूपये 15,000/–" एवं "रूपये 25,000/–" प्रतिस्थापित किया जाये।
3. नियम 15 में, अंक एवं शब्द "31 दिसम्बर, 2014" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "31 मार्च, 2017" प्रतिस्थापित किया जाये।

उपरोक्त नियम 2 (ग) एवं नियम 15 का संशोधन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा नियम 5(1) का संशोधन, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

02.03.2017 14:44